



राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस National Panchayati Raj Day

24 अप्रैल 2018

24th April 2018

रामनगर, मण्डला जिला, मध्य प्रदेश

Ramnagar, District Mandla, Madhya Pradesh

कार्यक्रम

मण्डला, रामनगर के हैलीपैड पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन

महात्मा गांधी और रानी दुर्गावती की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन

माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का स्वागत भाषण

माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का संबोधन

महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश का संबोधन

- “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान”, “स्थानीय शासन निर्देशिका कोड”, “एम एवशन सॉफ्ट” अनुप्रयोगों का शुभारंभ
- पंचायत सदस्यों के परामर्श पर फिल्म की प्रस्तुतीकरण
- पंचायत पुरस्कारों का वितरण

प्रधानमंत्री का संबोधन

ग्रामीण विकास मंत्री, मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद ज्ञापन

प्रधानमंत्री का प्रस्थान

Programme

Prime Minister lands at Helipad, Ramnagar, Mandla

Lighting of lamp followed by Garlanding of Mahatma Gandhi and Rani Durgawati

Welcome Speech by CM, Madhya Pradesh

Address by Union Minister (RD & PR)

Address by Governor, Madhya Pradesh

- Launch of programme "Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan"; "Local Government Directory Code", "mActionsoft" application
- Presentation of Film on Consultations of Panchayat Members
- Presentation of Panchayat Awards

Address by Hon'ble Prime Minister (Live Telecast)

Vote of Thanks by State Minister Rural Development, Madhya Pradesh

Prime Minister departs

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

भारत में विकेन्द्रीकरण एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु 73 वां संविधान संशोधन विधेयक, 1992 लाया गया। इस संशोधन में निहित प्रावधानों को 24 अप्रैल 1993 से कार्यान्वित किया गया। इस दिन को प्रत्येक वर्ष देशभर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

73 वें संशोधन द्वारा भाग IX को संविधान में स्थान दिया गया जिसके अन्तर्गत गांव और अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन अनिवार्य किया और पंचायतों के अध्यक्षों के पद पर सीधे चुनाव का प्रावधान किया;

73 वां संशोधन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में और महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है;

संविधान के भाग IX में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी करने को व्यवस्था है। विकास योजनाओं के कार्यान्वयन तथा पंचायतों के लिए निश्चित वित्त के संबंध में राज्य विधानसभा द्वारा पंचायतों को शक्तियां और उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने का प्रावधान करता है।

देश में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की संख्या	:	2,56,103
ग्राम पंचायतों की संख्या	:	2,48,856
ब्लॉक पंचायतों की संख्या	:	6,626
जिला पंचायतों की संख्या	:	621
निर्वाचित सदस्यों की संख्या	:	31,00,000
निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	:	14,39,000
पीआरआई (गैर भाग IX) से बाहर के क्षेत्र: <i>मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के कुछ हिस्से, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से</i>		

National Panchayati Raj Day

National Panchayati Raj Day is celebrated each year on the 24th of April to commemorate the enactment of the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992, which came into force on April 24, 1993.

The 73rd Amendment enshrined basic and essential features of Panchayati Raj Institutions to impart them certainty, continuity and strength in Part IX of the Constitution.

The amendment made the constitution of Panchayats at village and other levels mandatory and provides for direct elections to all seats in Panchayats and to the offices of Chairpersons of Panchayats;

The 73rd amendment also provides for reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population and reservation of not less than one-third of the seats for women;

Part IX of the Constitution provides for devolution by the State Legislature of powers and responsibilities upon the Panchayats with respect to the preparation of plans for economic developments and social justice and for the implementation of development schemes; and secure sound finances for the Panchayats.

Panchayati Raj Institutions (PRI) : in the country	:	2,56,103
Number of Gram Panchayats	:	2,48, 856
Number of Block Panchayats	:	6,626
Number of District Panchayats	:	621
Number of Elected members	:	31,00,000
Number of Elected Women Representatives	:	14,39,000
Areas not covered by PRIs (Non Part IX):		
Meghalaya, Mizoram, Nagaland & parts of Hill areas of Manipur, district Darjeeling, West Bengal, parts of Assam and Tripura		

पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प पर राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की पूर्व संध्या पर, 23 अप्रैल को, देश के विभिन्न राज्यों के पंचायत सदस्य, समानान्तर सत्रों में ग्राम सभाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, बाधाओं और आगे के मार्ग को साझा करने के लिए एकत्रित होंगे।



पंचायत में सामाजिक
विकास और सतत
विकास लक्ष्य

ग्राम पंचायत में
आर्थिक विकास
और योजना



डिजिटल पंचायत
के माध्यम से
ग्रामीण परिवर्तन



स्वच्छ भारत


युवा पंचायत:
नया भारत
नई सोच




इस कार्यशाला का परिणाम 24 अप्रैल 2018 को प्रस्तुत किया जाएगा

National Workshop on Transforming Rural Areas by Panchayat

On the eve of National Panchayati Raj Day, on the 23rd of April, Panchayat Members from different States of the Country, will assemble to deliberate on key issues relating to the socio economic development of Gram Sabhas in parallel sessions and share good practices, impediments and the way forward. The sessions are:




Social
Development at
Panchayat and
Sustainable
Development
Goals




Economic
Development
and Planning at
Gram Panchayat



Rural
Transformation
through Digital
Panchayat



Swachh Bharat



Yuva
Panchayat:
Naya Bharat,
Nayi Soch

Outcomes of this workshop will be presented on the 24th of April 2018

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2018 के अवसर पर प्रधान मंत्री का संबोधन



प्रधान मंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे

प्रधान मंत्री का संबोधन लगभग 2.48 लाख ग्राम सभाओं में सीधे प्रसारित किया जाएगा



पंचायत के लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि संबोधन का सीधे प्रसारण सुनेंगे।



Address of Prime Minister on the occasion of National Panchayati Raj Day 2018



The Prime Minister will be the *Chief Guest* at the National Panchayati Raj Day celebrations and will address the nation on this occasion.

The Prime Minister's address will be telecast **LIVE** to about 2.48 lakh Gram Sabhas across the country



Around 31 lakh elected representatives of Panchayats will listen to the address **LIVE**



पंचायतों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

विशेष प्रयास करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने हेतु हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके द्वारा पंचायतों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और स्थानीय स्तर पर सु-शासन के लिए इको-प्रणाली तैयार की जाती है। पुरस्कार श्रेणियां हैं:

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार

राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं की डिलीवरी में सुधार के लिए किए गए अच्छे कार्यों को देखते हुए सर्वोत्तम निष्पादनकारी पंचायतों (जिला, मध्यवर्ती और ग्राम) को दिया जाता है



ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार

पंचायत के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु देश भर की तीन सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को दिया जाता है

नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

प्रभावी ग्राम सभाओं के माध्यम से, विशेष रूप से गांव के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुधार के संबंध में, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायतों को दिया जाता है

ई-पंचायत पुरस्कार

पंचायत स्तर पर लेखा कार्य, निगरानी, सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण, सामाजिक लेख परीक्षा, आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं के स्वचालन जैसे अनुप्रयोगों को अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिया जाता है

National awards to Panchayats:

To encourage Panchayat representatives who make special efforts and create models for Panchayats and Gram Sabhas to follow, awards are given every year on National Panchayati Raj Day. This encourages Panchayats to improve their performance and creates an eco-system for good governance at the local level. The award categories are:

Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar

Given to best performing Panchayats (District, Intermediate and Gram) across the States/UTs in recognition of good work done for improving delivery of services and public goods



Gram Panchayat Development Plan Award

Given to the three best performing Gram Panchayats across the country with respect to preparation of the Gram Panchayat Development Plan for the Panchayat

Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar

Given to Gram Panchayats for outstanding performance, through effective Gram Sabhas, especially in respect of improvements in social & economic structure of the village

E -Panchayat Award

Given to States/UTs for adoption & implementation of PES applications like accounting, planning, monitoring of works, electronic delivery of services, social audit, automation of internal workflow processes at Panchayat level

विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन

देश भर में ग्राम पंचायतें 24 अप्रैल 2018 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करेंगी ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों जैसे—टीकाकरण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक विकास पर चर्चा की जा सके।



2 लाख ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री के सीधे प्रसारित संबोधन को समस्त ग्राम पंचायत सुनेंगे

Special Gram Sabha Meetings

Gram Panchayats across the country will organise Special Gram Sabhas on 24th April 2018 to discuss important social issues like Immunisation, Health, Women Empowerment and Social Development



Gram Panchayat Development Plans (GPDP) formulation process will be initiated by the Gram Sabhas in more than 2 lakh Gram Panchayats

Gram Panchayats will listen to the Prime Minister's Address on occasion of National Panchayati Raj Day LIVE

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित योजना का शुभारंभ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित योजना का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों के प्रशासनिक क्षमताओं को विकसित करना है जिससे कि विकास में स्थानीय सहभागिता, पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा मिले और “सतत विकास लक्ष्यों” (एस.डी.जी.) की प्राप्ति हो सके। पंचायत स्तर पर ई-शासन और प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का उपयोग प्रशासनिक दक्षता, बेहतर सेवा वितरण और अधिक जवाबदेही प्राप्त करने के लिए बढ़ाया जाएगा। क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे को आधारभूत संरचना, सुविधाओं और मानव संसाधनों में पर्याप्त गुणवत्ता मानदंडों सहित राष्ट्रीय और राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किया जाएगा।

यह योजना 2018–19 (अर्थात् 01.04.2018 से) से 2021–22 (अर्थात् 31.03.2022 तक) चार साल के लिए कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें मिशन अंत्योदय के साथ 4200.25 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा होगा और 4 साल के लिए राज्य का हिस्सा 2755.50 करोड़ रुपये होगा।

आरजीएसए पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर जहां केंद्रीय और राज्य अनुपात 90:10 होगा, केंद्र और राज्य घटक सहित राज्य घटक के लिए 60:40 के अनुपात में एक मुख्य केंद्र प्रायोजित योजना होगी और सभी संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी 100% करने का प्रस्ताव है

सतत विकास लक्ष्य	
लक्ष्य 1	सभी जगह सभी तरह की गरीबी का उन्मूलन
लक्ष्य 2	भूख का खतमा, खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति और पोषण में सुधार तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना
लक्ष्य 3	सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और समृद्धि को बढ़ावा देना
लक्ष्य 4	समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसर
लक्ष्य 5	लैंगिक समानता की प्राप्ति और सभी महिलाओं एवं लड़कियों का सक्रियकरण
लक्ष्य 6	सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन
लक्ष्य 7	सभी के लिए रियायती, टिकाऊ, सतत और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच को सुनिश्चित करना
लक्ष्य 8	सभी के लिए स्थायी समावेशी, सतत आर्थिक विकास, पूर्ण उत्पादकता और रोजगार एवं गरिमामयी कार्य को बढ़ावा देना
लक्ष्य 9	लचीली अवसंरचना का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण और नवाचार को बढ़ावा
लक्ष्य 10	देश के भीतर लोगों के बीच असमानता को कम करना
लक्ष्य 11	शहरी आबादी वाले इलाकों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और स्थायी बनाना
लक्ष्य 12	सतत उपभोग और उत्पादन प्रारूप को सुनिश्चित करना
लक्ष्य 13	जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई
लक्ष्य 14	सतत विकास के लिए महासागर, समुद्र और सामुद्रिक संसाधनों का संरक्षित और तर्कसंगत उपयोग
लक्ष्य 15	स्थलीय इकोसिस्टम की सुरक्षा, पुनर्बहाली और तर्कसंगत उपयोग, वनों का न्यायसंगत प्रबंधन, मरुस्थलीकरण को रोक, खराब होती भूमि की गुणवत्ता को रोकना एवं इसकी पुनर्बहाली और जैव विविधता की हानि को रोकना
लक्ष्य 16	सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा, सभी के लिए न्याय की पहुंच प्रदान करना तथा हर स्तर पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का गठन
लक्ष्य 17	सतत विकास के लिए वैश्विक सहभागिता को पुनर्जीवित करना तथा कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ बनाना

Launch of Restructured Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)

The restructured scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA), is being launched for developing governance capabilities of Panchayati Raj Institutions (PRIs) to deliver on the Sustainable Development Goals (SDGs) through participatory local planning, democratic decision-making, transparency and accountability. Use of e-governance and technology driven solutions at the Panchayat level will increase to attain administrative efficiency, improved service delivery, and more accountability. Institutional structure for capacity building will be established at the national and state and district levels with adequate quality standards in infrastructure, facilities, and human resources.

The scheme will be implemented for four years from 2018-19 (i.e. from 01.04.2018) to 2021-22 (i.e. till 31.03.2022), in alignment with Mission Antyodaya with a central share of Rs.4500.25 crore and State share of Rs.2755.50 crore for 4 years .

RGSA will be a restructured core Centrally Sponsored Scheme with Central and State shares for the State component in the ratio of 60:40 except North East and Hill States where the central and the State ratio will be 90:10 and for all Union Territories (UTs), where the Central share is proposed to be 100%.

Sustainable Development Goals	
Goal 1	End poverty in all its forms everywhere
Goal 2	End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
Goal 3	Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Goal 4	Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
Goal 5	Achieve gender equality and empower all women and girls
Goal 6	Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Goal 7	Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 8	Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
Goal 9	Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
Goal 10	Reduce inequality within and among countries
Goal 11	Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12	Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 13	Take urgent action to combat climate change and its impacts*
Goal 14	Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
Goal 15	Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
Goal 16	Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
Goal 17	Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) का लोकार्पण

स्थानीय सरकार निर्देशिका एक एप्लीकेशन है जिसे ईपंचायत मिशन मोड परियोजना (<http://epanchayat.gov.in>) के भाग के रूप में विकसित किया गया है।

एलजीडी का मुख्य उद्देश्य राजस्व संस्थाओं (जिलों/उप-जिलों/गांवों), स्थानीय सरकारी निकाय जैसे पंचायत, नगरपालिका और पारंपरिक निकायों यउनके वार्ड, केंद्रीय और राज्य सरकारों और संसद और विधानसभा क्षेत्रों के संगठनात्मक ढांचे और एक दूसरे के साथ उनका संबंध मानक संहिता और राजस्व संस्थाओं (जिलों/उप-जिलों/गांवों) के गठन के साथ उनके संबंध की अद्यतित सूची को बनाए रखना है।

प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय (पंचायत, शहरी निकाय या पारंपरिक निकाय), राजस्व इकाई, विभाग, पदनाम, वार्ड के लिए विशिष्ट कोड तैयार करता है जो एनईजीपी (मेटाडाटा और डाटा (<http://lgdirectory.gov.in>) के तहत ई-गवर्नेंस मानक के अनुपालन में है।



Dedication of Local Government Directory (LGD)

Local Government Directory is an application developed as part of ePanchayat Mission Mode project (<http://epanchayat.gov.in>).

Main objective of LGD is to maintain up-to-date list of revenue entities (districts/ sub-districts/ villages), Local Government bodies like Panchayats, Municipalities and traditional bodies; their wards, organizational structure of Central and State Governments and parliament and assembly constituencies and their relationship with one another their Standard Codes and their relationship with constituting revenue entities (districts/ sub-districts/villages).

Generates unique codes for each local government body (panchayat, urban body or traditional body), revenue entity, department, designation, ward which is in compliance with eGovernance



एप्लिकेशन का लॉन्च: एम एक्शनसॉफ्ट

बहुभाषी एंड्रॉइड आधारित
एप

प्रत्येक परिसंपत्ति के
भौगोलिक निर्देशांक को
दर्ज करना

चरण-वार प्रभावी ट्रेकिंग
और गतिविधियों की
निगरानी

एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर,
प्लान प्लस और
पीआरआईए सॉफ्ट में
आंकड़े दर्ज करना

संपत्ति रजिस्टर बनाता है

Launch of Application: M ActionSoft

Multilingual
Android based app

Capture of
geographical
coordinates of
each asset

Stage-wise
effective tracking &
monitoring of
activities

Data feeds into
Action soft
software, Plan Plus
& PRIA Soft

Creates Assets
Register



पंचायती राज
Panchayati Raj

पंचायती राज मंत्रालय
Ministry of Panchayati Raj